क्रम-संख्या–230

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर, 2024

पौष 5, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 494/79-वि-1–2024-1-क-32-2024
लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2024

———————

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन), विधेयक, 2024 जिससे नियोजन अनुभाग–4 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 में, विद्यमान धारा 6 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

''(4) राज्य सभा के सदस्य भी जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रिती होंगे। इसके अतिरिक्त किसी जिले की दो ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान भी एक वर्ष के लिए जिला योजना समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रिती होंगे। ग्राम प्रधान का चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:—

(क) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चयनित दो ग्राम प्रधान नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जिला की जिला योजना समिति की बैठकों हेतु चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिये स्थायी आमंत्रिती होंगे।

(ख) ग्राम प्रधानों के चयन हेतु चक्रानुक्रम निम्नानुसार चलेगा :—

(एक) जिला मजिस्ट्रेट, प्रत्येक वर्ष हिन्दी वर्णमाला क्रम के आधार पर दो विकास खण्डों का चयन करेगा तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाली दो ग्राम पंचायतें चयनित की जायेंगी। प्रत्येक दो विकास खण्डों से इस प्रकार चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एक वर्ष के लिये चयनित/नामनिर्दिष्ट होंगे। उनके नाम निर्देशन से एक वर्ष की समाप्ति पर पूर्व चयनित खण्डों के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले दो विकास खण्डों का चयन किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट चक्रानुक्रम के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए इन खण्डों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली दो ग्राम पंचायतों का चयन/नामनिर्देशन करेगा।

(दो) पूर्वोक्त प्रक्रिया का पालन आगामी वर्षों में ऐसे समय तक किया जाता रहेगा जब तक कि समस्त विकास खण्डों का हिंदी वर्णमाला क्रम के अनुसार चयन नहीं हो जाता और एक पूरा चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। इसके पश्चात् पूर्वोक्त को पुनः दोहराया जाएगा और अगले चयनित दो विकास खण्डों में से प्रत्येक से एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान चयनित/नामनिर्दिष्ट होंगे।

(तीन) यदि किसी भी कारण से विकास खण्डों की जनसंख्या में या उनकी सीमाओं के अंकन के कारण परिवर्तन होता है, तब भी पूर्व चयनित विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों को दोहराया नहीं जाएगा (जब तक कि चक्रानुक्रम पूरा न हो जाए)।''

———

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 32 सन् 1999), जिला में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिला के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

किसी जिला की दो ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान को उस जिला में गठित जिला योजना समिति में, एक वर्ष के चक्रानुक्रम में स्थायी आमंत्रिती के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने की आवश्यकता एवं जरूरत के अनुसरण में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।

तदनुसार उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 494 (2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-32-2024
Dated Lucknow, December 26, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jila Yojna Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2024. The Niyojan Anubhag-4 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH DISTRICT PLANNING COMMITTEE (AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. ACT No. 24 OF 2024)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh District Planning Committee Act, 1999.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh District Planning Committee (Amendment) Act, 2024.

Amendment of section 6 of U.P. Act no. 32 of 1999

2. In the Uttar Pradesh District Planning Committee Act, 1999, for the existing sub-section (4) of section 6, the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(4) Members of Council of States representing the State shall also be permanent invitee to the meetings of the Committee of a district of their choice. Besides this, the Gram Pradhan of two Gram Panchayats of a district shall also be permanent invitee to the meeting of District Planning Committee for one year. The selection of Gram Pradhan shall be done in the following manner:-

(a) Two Gram Pradhans selected by the District Magistrate according to the process given below shall be permanent invitees for the meetings of the District Planning Committee of the concerned district for one year by rotation.

(b) The rotation cycle for selection of Gram Pradhans will run as follows:-

(i) The District Magistrate shall select two Development Blocks on the basis of Hindi alphabetical order every year and two Gram Panchayats having highest population shall be selected. The Gram Pradhan of each of the Gram Panchayats so selected from each of the two Development Blocks would be selected/nominated for one year. At the expiry of one year from their nomination, the next two Development Blocks as per Hindi alphabetical order would be selected in place of earlier selected blocks. The District Magistrate shall select/nominate two Gram Panchayats having the largest population in these blocks for a period of one year on rotation basis.

(ii) The aforesaid procedure shall continue to be followed for the upcoming years till such time as all the Development Blocks have been selected as per Hindi alphabetical order and one full cycle has been completed. Thereafter, the aforesaid shall be repeated and a Gram Pradhan of a Gram Panchayat from each of the next selected two Development Blocks shall be selected/nominated.

(iii) If there is change in population of the Development Blocks due to any reason or delineation of their boundaries, even then formerly selected Development Blocks/Gram Panchayats shall not be repeated (except when the rotational cycle is complete)."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh District Planning Committee Act, 1999 (U.P. Act no. 32 of 1999) has been enacted to provide for the constitution of District Planning Committee at the district level for consolidation of plans prepared by the panchayats and the Municipalities in the district and preparation of draft development plan for the district as a whole and for matters connected therewith or incidental thereto.

In pursuance of the requirement & need to nominate Gram Pradhans of two Gram Panchayats of the district as permanent invitees in the District Planning Committee constituted in the districts for one year in rotation, it has been decided to amend section 6 of the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh District Planning Committee (Amendment) Bill, 2024 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 394 राजपत्र–2024–(1073)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 173 सा0 विधायी–2024–(1074)–300 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

394 RPH 2024(Adhiniyam) Data1e